न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 83 / 2020
ONLINE NO 2020/00165
निर्णय दिनांक 07.04.2021

बृजलाल पुत्र चुन्नीलाल जाति बिश्नोई निवासी सांवतसर तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।

बनाम

1. ब्लॉक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीडूंगरगढ
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर।
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

उपस्थितिः—
1. श्री पूनमचन्द मारू अभिभाषक वादी
2. श्री ललित कुमार मारू अभिभाषक प्रतिवादी संख्या 1 ता 2
3. राजपैरोकार स्टेट की तरफ से

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

आदेश

यह प्रार्थना पत्र बृजलाला ने जरिये अधिवक्ता के मार्फत पेश कर निवेदन किया है। कि प्रार्थी ने उपरोक्त अनुवानी दावा न्यायालय श्रीमानजी के समक्ष प्रस्तुत किया है जिसमे प्रार्थी को पूर्ण सफलता मिलने की सम्भावना है। प्रार्थी की खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 1200 / 1042 तादादी 8.51 हैक्टेयर जिसमे 0.0200 गै. मु. सड़क स्थित है। प्रार्थी के खेत के पश्चिमी तरफ गै.मु. गोचर की भूमि है। जिसके खसरा न.1199 / 224 है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर प्रार्थी का ही कब्जा काश्त व अधिकार चलना आ रहा है। प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि का हर तरह से उपयोग उपभोग करने का अधिकारी है। प्रार्थी के खातेदारी अधिकारी की भूमि पर किसी को दखल देने का अधिकारी नहीं है। अप्रार्थीगण बिना किसी अधिकार के बिना भूमि आवप्त किये प्रार्थी के खातेदारी भूमि पर बलपूर्वक कब्जा कर निर्माण करवाने की फिराक में है। इस हेतु अप्रार्थी के नुमाइन्दे तीन चार दिन पूर्व मौका पर गये और प्रार्थी से कहा कि तुम्हारे खेत की पश्चिमी सीमा में तुम्हारे खेत की जमीन में 60ग 200 फुट में हम निर्माण करवायेगें । प्रार्थी ने कहा जमीन मेरी खातेदारी भूमि की है। जिस पर किसी को निर्माण करवाने का अधिकारर नहीं है तो अप्रार्थीगण ने नुमाइन्दे कहा कि हम कुछ नहीं जानते हम तो शीघ्र ही निर्माण कार्य करेंगे। अप्रार्थीगण बिना कानूनी प्रकिया अपनाये बिना भूमि आवप्त किये बिना मुआवजा दिये प्रार्थी की खातदारी भूमि पर निर्माण करवाने पर आमदा हो रहे है। अप्रार्थीगण को प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर किसी प्रकार से निर्माण करने कब्जा करने करवाने का कोई अधिकार नहीं है । अप्रार्थीगण अपनी शक्तियों का दुरूपयोग करने पर उतारू है। प्रार्थी के पास अपने अधिकारों की रक्षार्थ अप्रार्थीगण [illegible] अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अप्रार्थ[illegible] दिनांक 27.11.2020 को प्रार्थी को ऐलानियां तौर पर धमकी दी [illegible] भूमि पर निर्माण करवायेगे तुमसे जो हो सके, वो कर [illegible] द्वारा अप्रार्थीगण के अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ति का उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत क[illegible] आवश्यकहा गया है [illegible] खसरा न. 1200 / 1042 कुल तादादी 8.57 हैक्टेयर रोही सांवतसर प्रार्थी की खोतदारी अधिकारी की भूमि है, जिस पर प्रार्थी का कब्जा, काश्त व उपयोग उपभोग

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2022.09.16 17:11:16 IST
Reason: SelfAttested

Signature Not Verified

Digitally signed by Divya
Date: 2022.09.16 17:11:16 IST
Reason: SelfAttested

निर्माण कार्य को रूकवाना चाहता है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अपनी खातेदारी भूमि पर अप्रार्थी द्वारा कब्जा में करने प्रवेश न करने व कब्जाकाश्त में दखल न करने का अनुतोष चाहा है। अप्रार्थी भी अपनी आवंटनशुदा भूमि का हर प्रकार से उपयोग उपभोग करने का अधिकार रखते है तथा निर्माण हेतु स्वीकृति आदेश तथा पंचायत द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र के दस्तावेज पत्रावली में प्रस्तुत है। इस आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत प्रार्थी का कोई प्रथम दृष्टया मामला प्रमाणित नही है। अप्रार्थी 1 ता 2 द्वारा आवंटितशुदा भूमि पर राज्य सरकार द्वारा निर्माण हेतु स्वीकृत राशि उपयोग में लाई जा रही है जो कि सार्वजनिक कार्य के लिये उपयोगी है। इन तथ्यों से अस्थायी निषेधाज्ञा बाबत् अपूर्णीय क्षति का सिद्धान्त व सुविधा का सन्तुलन का सिद्धान्त प्रार्थी के विरुद्ध साबित होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा अस्वीकार किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 07.04.2021 को सरे इजलास मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया।

(दिव्या)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Divya
Date: 2022.09.16 17:11:16 IST
Reason: SelfAttested